

निर्णय दिनांक :- 19.2.21

वादी की ओर श्री इन्द्राज गोदारा , सुरेन्द्र सिंहाग व प्रतिवादीगण ओर से श्री भीमसैन खिलेरी अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक 19.2.21 को कपिल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को चक 3 आर आर डबल्यू ए खाता संख्या 119/110 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3.542 है0 बहिरस्सा बराबर व चक 2 आर आर डबल्यू खाता संख्या 67/67 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.046 है0 भूमि का वादी एवं चक 2 आर आर डबल्यू खाता संख्या 77/75 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.506 है0 भूमि का वादी तथा चक 2 आर आर डबल्यू के खाता संख्या 135/128 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.784 है0 मे से वादी 0.013 है0 का व इसी खाता मे प्रतिवादी संख्या 1 नाम दर्ज 0.017 है0 का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिरस्सा बराबर का व प्रतिवादी संख्या 2 को चक 2 आर आर डबल्यू खाता संख्या 135/128 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.784 है0 मे से 0.771 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वाके चक नम्बर 3 आर आर डबल्यू ए खाता संख्या 119/110 मे से प्रतिवादी संख्या 1 का व चक 2 आर आर डबल्यू खाता संख्या 67/67 व खाता संख्या 77/75 व 135/128 मे से प्रतिवादी संख्या 1 मिटु सिंह का नाम कलमजन किया जावे। तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बिरानी/गेरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेगे।

यह डिक्री आज दिनांक 19.2.21 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गई।



मिलान किया

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़।

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़